न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
105/2015 प्रा.पत्र/2015	01.12.2015	07.05.2026
जीसीएमएस नं0–567/2016		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन जाति महाजन निवासी आसाम कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक।
2–मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक।
3–श्री जुगल किशोर टोडवाल पुत्र श्री शिव शंकर टोडवाल निवासी ग्राम भांकरोटा अजमेर रोड जयपुर प्रो. मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर।
4–मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर।
5–श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक नॉमिनी मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई–168 रोड नं. 9 जे वीकेआई एरिया बनीपार्क जयपुर।
6–मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई–168 रोड नं. 9 जे वीकेआई एरिया बनीपार्क जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विक्रम जैन, श्री प्रकाश जैन, श्री रोमेन्द्र गुर्जर उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 07/5/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.06.2015 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्‌य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ कागज के सात कार्टूनों में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

70 ग्राम पैक के लगभग 672 पैकेट पैक्ड अवस्था में **इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (प्रोपराइटरी फूड मैगी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एंव मिलावट की शंका होने पर श्री अरविन्द कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए में वांस्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अरविन्द कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (प्रोपराइटरी फूड मैगी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 50946640ए.ए एवं पैकिंग की दिनांक 4/2015 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 70 ग्राम के चार पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (प्रोपराइटरी फूड मैगी ब्राण्ड)** 4 पैकेट प्रत्येक 70 ग्राम में से एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये तथा चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1034 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1034 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

नमूना लेते समय मौके पर श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नेस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई–168 रोड नं. 9 जे वीकेआई एरिया बनीपार्क जयपुर का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षां अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/15/2121 दिनांक 01.07.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/451/एक्ट/2015/337 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (प्रोपराइटरी फूड मैगी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं निवेदन किया किं विनियम 3.1.2 के अनुसार प्राकृतिक Caramel colour खाद्य, उत्पाद में प्रयुक्त किये जा सकते, है। FSSAI की एडवायजरी दिनांक 8.6.15 एवं वर्ष 2016 में जारी सातवें संशोधन के अन्तर्गत सीजनिंग में कारमल रंग की उपस्थिति अनुज्ञप्त नहीं थी। किन्तु पुनः 28.12.2017 को FSSAI के निर्देशन एवं दिनांक 12.11.2018 को जारी शासकीय गजट अनुसार टेस्टमेकर में कारमल रंग 10 हजार मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिलाया जा सकता है। खाद्य विश्लेषक ने टेस्ट मेकर के पाउच पर आवश्यक जानकारीयां अंकित न होने के कारण नमनू को मिथ्याछाप/अवमानक घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण व अधिनियम की मंशा के विपरित है क्योंकि उक्त टेस्ट मेकर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी बाह्य पैक पर स्पष्टतः अंकित है जिससे ग्राहक को उक्त खाद्य पदार्थ के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके क्योंकि ग्राहक खाद्य के क्रय के दौरान बाह्य पैक पर अंकित सूचना के आधार पर ही खाद्य क्रय करता है। साथ ही पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक रूप से बिक्री हेतु नहीं है और साथ ही उस पर सूचनायें अंकित करने में मुद्रण स्याही खाद्य नूडल्स के सीधे सम्पर्क में आ जायेगी, जिससे खाद्य के असुरक्षित होने की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भी हाल ही में यह उद्घोषणा की है कि खाद्य पदार्थ मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। अतः प्रार्थी को आरोपों से मुक्त किया जाकर प्रकरण को निरस्त किया जावें अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाया जावें। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड का निर्णय दिनांक 05.06.2015, मा. उच्च न्यायालय राजस्थान का निर्णय दिनांक 07.02.2018, दिनांक 12.03.2018, 06.07.2017 एवं 12.07.2017 तथा न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट,पाली का निर्णय दिनांक 28.06.2022, तथा न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का निर्णय दिनांक 16.05.2019 उद्धरित किये है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (प्रोपराइटरी फूड मैगी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैगी नूडल्स विद टेस्टमेकर की विनिर्मात्री कम्पनी नैस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक है और सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल कैशमीमो द्वारा ही कय विक्रय किया जाता है। मैगी इन्सटेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर Proprietary food है। जिनके लिए 2011 के विनियमो में कोई मानक निर्धारित नहीं है। उक्त प्रकरण में लिए गये नमूने के पैकेट पर ही इसे प्रोपरायटरी फूड घोषित किया हुआ है, किसी खाद्य पदार्थ को **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** घोषित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए मानक तय किये गये हो। इस प्रकार प्रोप्रायटरी फूड जिसका मानक विहित नहीं है उसे **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** घोषित नही किया जा सकता। साथ ही रिपोर्ट के अन्य तथ्यों के संबंध में उपर किये गये विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आंधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करत हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07/5/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0